भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1980

शुक्रवार, 12 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्थल से घिरे हुए राज्यों के लिए औद्योगिक गतिविधियों हेतु परिवहन सहायता

1980. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार स्थल से घिरे हुए राज्यों को औद्योगिक गतिविधियों के लिए अन्तर्देशीय परिवहन अनुदान देती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में राज्यों द्वारा कोई प्रस्ताव या पत्राचार किया गया है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों/पत्राचारों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सोम प्रकाश)

(क) से (ग): पहाड़ी, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, उनके तैयार उत्पाद और कच्चे माल के परिवहन के लिए औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी देने के मामले में, वर्ष 2013 में मालभाड़ा सब्सिडी स्कीम (एफएसएस) शुरु की गई थी। इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले, अंडमान और निकोबार प्रशासन और लक्षद्वीप प्रशासन के लिए उपलब्ध हैं। मालभाड़ा सब्सिडी स्कीम (एफएसएस), 2013 को दिनांक 22.11.2016 से बंद कर दिया गया है। तथापि, स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन शुरु करने के पश्चात दिनांक 21.11.2021 तक प्रतिबद्ध वर्षों हेतु स्कीम के लाभ के लिए पात्र होंगी।

दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.03.2022 तक, पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस) 2017 के अंतर्गत पंजीकृत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों की पात्र

औद्योगिक इकाइयों तथा दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.03.2021 तक औद्योगिक विकास स्कीम (आईडीएस) 2017 के अंतर्गत, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों हेतु 'परिवहन प्रोत्साहन' के रूप में अंतर्देशीय परिवहन सहायता निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है:

i. औद्योगिक इकाई के निकटतम रेलवे स्टेशन से खरीददार के स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन तक रेल द्वारा तैयार माल की आवाजाही के लिए रेलवे/रेलवे पीएसयू द्वारा वर्तमान में दिये जाने वाले प्रोत्साहन सहित परिवहन लागत का 20%।

ii. औद्योगिक इकाई के स्थान के निकटतम बन्दरगाह से खरीददार के स्थान के निकटतम बंदरगाह तक भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से परिवहन के लिए तैयार माल की आवाजाही हेतु परिवहन लागत का 20%।

iii. खराब होने वाली वस्तुओं (आईएटीए द्वारा यथा परिभाषित) के उत्पादन के स्थान के निकटतम हवाई अड्डे से खरीददार के स्थान के निकटतम हवाई अड्डे तक हवाई परिवहन की लागत का 33%।

*****